न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या: 21 / 2024

अपीलार्थीगण

1. गणेश पुरी पुत्र श्री शिव पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)
2. प्रकाश पुरी पुत्र श्री वचन पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)
3. अर्जुन पुरी पुत्र श्री भैर पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)
4. दिनेश पुरी पुत्र श्री शंकर पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)
5. रमन पुरी पुत्र श्री मंगल पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)
6. मगन पुरी पुत्र श्री मंगल पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)
7. झालम पुरी पुत्र श्री शंकर पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)
8. ओम पुरी पुत्र श्री शंकर पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)
9. कैलाश पुरी पुत्र श्री मंगल पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)
10. भरत पुरी पुत्र श्री भैरु पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)
11. रमण पुरी पुत्र श्री मंगल पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)
12. विक्रम पुरी पुत्र श्री मंगल पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)
13. हिर पुरी पुत्र श्री भैरु पुरी, जाति–गोस्वामी (गोसाई)

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, कालन्द्री, तहसील व जिला–सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 31 जनवरी, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 16 / 2023 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 10.7.2024 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 24.01.2025 को बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान श्री पुरी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का सिलदर के खसरा संख्या 23 की बिलानाम भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। यह कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में खसरा संख्या 23 की भूमि में अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का निर्णय दिनांक 25.5.2023 को पारित किया था, जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की अपील को राजस्व अपील संख्या 15 / 2023 पर दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई पक्षकारान पारित निर्णय दिनांक 19.7.2023 के द्वारा अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार, कालन्द्री को इस निर्देश के

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 20 व 22 का अपीलार्थीगण की उपस्थिति में पैमाईश/सीमाज्ञान राजस्व कार्मिकों की टीम गठित करके करवाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 19.7.2023 में प्रदत्त निर्देशों की पालना किये बिना ही खसरा संख्या 27 के खातेदारों से मिलकर अपीलार्थीगण को नोटिस तामिल करवाये बिना ही अपनी मर्जी माफिक अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में खातेदारी भूमि का पैमाईश/सीमाज्ञान दिनांक 28.6.2024 को किया जाना बताते हुए सीमाज्ञान/पैमाईश रिपोर्ट तैयार की गई है, जो मौके पर खसरा संख्या 20 व 22 का सीमाज्ञान/पैमाईश किये बिना ही गलत रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसकी जानकारी मिलने पर अपीलार्थीगण ने जिला कलेक्टर, सिरोही को एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश से पुनः टीम गठित कर पुनः भूमि की पैमाईश/सीमाज्ञान करने के आदेश दिये गये और इसकी पालना में दिनांक 02.8.2024 को सीमाज्ञान करने हेतु गठित टीम मौके पर आई, लेकिन गठित टीम द्वारा अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरुप अपीलार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 20 व 22 का मौके पर पैमाईश/सीमाज्ञान नही किया गया और गलत तरीक से खसरा संख्या 27 के खातेदार के वहां बैठकर केवल मात्र अपीलार्थीगण को परेशान करने की बदनियति से खसरा संख्या 23 की भूमि पर अपीलार्थीगण का अतिक्रमण बताते हुए सरासर गलत व कुटरचित सीमाज्ञान रिपोर्ट खसरा संख्या 27 के खातेदार से मिलीभगत कर तैयार की हे। जबकि मौके पर अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि की पैमाईश हेतु कोई निशानात नही बनाये और न ही कोई मुस्तकील बिन्दु तय किया गया। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करते हुए अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय निर्णय दिनांक 10.7.2024 को पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.7.2024 के अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, जबकि इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील में पारित निर्णय में उप तहसीलदार, कालन्द्री को यह स्पष्ट निर्देश दिये थे कि खसरा संख्या 20 व 22 की भूमि का अपीलार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान/पैमाईश करवाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री के पीठासीन अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। खसरा संख्या 23 जिस भूमि को रास्ता होना बताया जा रहा है उक्त भूमि बिलानाम रास्ते की भूमि सार्वजनिक रास्ता नही है एवं न ही पिछले 100 वर्षो से कभी भी उक्त भूमि रास्ते के रुप में मौजूद ही रही है, क्योंकि उक्त भूमि अपीलार्थीगण के आवागमन हेतु अपने बाप दादाओं के समय से चली आ रही है एवं उक्त रास्ता अपीलार्थीगण की भूमि पर ही समाप्त होता है। इस कारण सार्वजनिक रास्ता नही होने से अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में नही लाई जा सकती है। माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 161/1991/एलआर/पाली व अन्य कुल 4 निगरानीयों में पारित निर्णय दिनांक 28.4.1995 में यह स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक रास्ता (PUBLIC WAY) की भूमि पर ही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। जबकि विवादित भूमि सार्वजनिक रास्ते (PUBLIC WAY) की परिभाषा में नही आती है, क्योंकि उक्त भूमि सार्वजनिक रास्ता (PUBLIC WAY) नही है, बल्कि अपीलार्थीगण की भूमि पर ही रास्ता समाप्त होता हैं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टान्त RLW 1970 Page 165 में यह स्पष्ट किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 103 में केवल मात्र

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

PUBLIC WAY के संबंध में ही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जा सकती है, अन्यथा नही। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत जो कार्यवाही अमल में लाई गई है, विधि सम्मत नही है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 16/2023 में पारित निर्णय दिनांक 10.7.2024 को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिलदर द्वारा संवत 2080 में अपीलान्ट के विरुद्ध ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का सिलदर के खसरा संख्या 23 रकबा 0—1600 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता पर अतिक्रमण कर बाड व कब्जा करने की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 16/2023 दर्ज कर प्रकरण में बाद जांच अपीलार्थीगण का उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.5.2023 को निर्णय पारित कर अपीलार्थीगण को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये थे। जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 15/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.7.2023 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री के निर्णय दिनांक 25.5.2023 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री को राजस्व कार्मिको की टीम गठित कर अपीलार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 20 व 22 की पैमाईश/सीमाज्ञान करवाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक, मेरमाण्डवाडा, पटवारी हल्का सिलदर व पटवारी हल्का सनपुर से भूमि की पैमाईश/सीमाज्ञान करवाया गया। जिसकी सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 28.6.2024 में मोके पर खसरा संख्या 23 रकबा 0—1600 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता पूर्ण रुप से खसरा संख्या 20 व 22 के खातेदारों के कब्जे में पाया गया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच व पैमाईश, अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाया जाने से दिनांक 10.7.2024 को विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि पटवारी हल्का, सिलदर द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत 2080 में ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का सिलदर के खसरा संख्या 23 रकबा 0.1600 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर बाड व कब्जा कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 16/2023 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में बाद सुनवाई दिनांक 25.5.2023 को निर्णय पारित कर अपीलार्थीगण को उक्त विवादित भूमि का अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 25.5.2023 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थीगण की अपील को इस न्यायालय में राजस्व अपील संख्या 15/2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 15/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.7.2023 के द्वारा अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2023 में पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

राजस्व कार्मिकों की टीम गठित कर अपीलार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 20 व 22 की अपीलार्थीगण की उपस्थिति में पैमाईश/सीमाज्ञान करवाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 15/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.7.2023 की पालना में ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का सिलदर के खसरा संख्या 20 व 22 का सीमाज्ञान करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक, मेरमाण्ड़वाडा, पटवारी हल्का सिलदर व पटवारी हल्का सनपुर की टीम गठित कर सीमांकन रिपोर्ट तलब की गई। भू अभिलेख निरीक्षक, मेरमाण्ड़वाडा, पटवारी हल्का सिलदर व पटवारी हल्का सनपुर द्वारा दिनांक 28.6.2023 को ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का सिलदर के खसरा संख्या 20 व 22 की भूमि का मौके पर सीमाज्ञान/पैमाईश करके सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में प्रस्तुत की गई। उक्त सीमाज्ञान मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 28.6.2023 के अनुसार सीमाज्ञान हेतु गठित उक्त टीम द्वारा अपीलार्थी गणेशपुरी, झालमपुरी, रमण पुरी, प्रकाश पुरी व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में खसरा संख्या 20, 11 व 289/2 के तिमेढा व खसरा संख्या 28, 29, 30 व 27 के चौमेडा की मौके पर व रेकर्ड में समान दूरी पाई जाने पर दोनों बिन्दुओं को मुस्तकील बिन्दु मानकर खसरा संख्या 20 व 22 का सीमांकन करवाया गया, उसी समय उम्मेदपुरी पुत्र शंकरपुरी, गणेपुरी पुत्र शिवपुरी ने मौके पर सीमाज्ञान का विरोध कर अन्य को भी मौके से साथ लेके चले गये और बताया कि यहां किसी भी प्रकार का रास्ता नही है और हस्ताक्षकरने से भी मना किया। मौके पर खसरा संख्या 23 रकबा 0-1600 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता पूर्ण रुप से खसरा संख्या 20 व 22 के खातेदारों के कब्जे में पाया गया। इस प्रकार, उक्त सीमाज्ञान मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 28.6.2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 23 रकबा 0-1600 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है।

चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 23 रकबा 0-1600 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर-ए-ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते